अपील सूचना अधिकार संख्या 80/2021 (GCMS 2021/121)(आरटीआई नं. 212672560184102) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(पोस्टल ऑर्डर नं. 52एफ 509369) बनाम प्रभारी अधिकारी, वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

18.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 18.06.2021 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. पत्रांक प्रार्थी 7255 दिनांक 31.08.2020 जिस अधिकारी के समक्ष जिस दिवस पेश किया उसका नाम, पद का नाम, दिनांक एवं पत्र प्राप्ति की सूचना व दिनांक की सूचना की प्रमाणित प्रति।
2. पत्रांक 7222 दिनांक 09.09.2020 प्रार्थी द्वारा जिस अधिकारी के समक्ष पेश किया उसका नाम, पद, दिनांक कार्यालय के पत्र प्राप्ति का विभागीय नं. की सूचना व प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश करने हेतु मांगे गये समय के संबंध में प्रस्तुत किये गये आवेदन की दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अधिकारी द्वारा दसतावेज पेश करने हेतु अंकित किये गये कथन व कार्यालय टिप्पणी की सूचना व प्रमाणित प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:51 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

—2— अपील सूचना अधिकार संख्या 80/2021

3\. प्रार्थी के पत्रांक (3) 7703/09.09.2020 (4) 7706/31.08.20, (5) 7721/07.09.20 (6) 31.12.2020 (7) 7720/05.09.20 (8) 7722/08.09.20 (9) 7291/07.02.20 (10) 7636/13.07.2020 (11) 01.01.2020 (12) 7375/30.05.2020

उपरोक्त 3 से 12 पंत्रांक में अंकित पत्रों को प्रार्थी द्वारा जिस अधिकारी के समक्ष पेश किय गये उसका नाम व पद, दिनांक, पत्र प्राप्ति क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति व प्रार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु मांगे गये समय नकल दिये गये आवेदन की सूचना व प्रमाणित प्रति व उस अधिकारी का नाम जिस द्वारा जिस जगह प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश करने हेतु मांगे गये ....को जहां पर अंकित किया गया, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

प्रभारी अधिकारी, वाचक शखा ने अपने पत्रांक सीजी/वाचक/21/663 दिनांक 28.06.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

क्र.सं.	चाही गई सूचनाएं	उत्तर
1	पत्रांक प्रार्थी 7255 दिनांक 31.08.2020 जिस अधिकारी के समक्ष जिस दिवस पेश किया उसका नाम, पद का नाम, दिनांक एवं पत्र प्राप्ति की सूचना व दिनांक की सूचना की प्रमाणित प्रति।	इस प्रकार का कोई अभिलेख इस कार्यालय में संधारित नहीं है।
2	पत्रांक 7222 दिनांक 09.09.2020 प्रार्थी द्वारा जिस अधिकारी के समक्ष पेश किया उसका नाम, पद, दिनांक, कार्यालय के पत्र प्राप्ति का विभागीय नं. की सूचना [illegible] द्वारा दस्तावेज पेश करने हेतु मांगे गये [illegible] के संबंध में प्रस्तुत [illegible] की सूचना व प्रमाणित प्रति, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अधिकारी द्वारा दसतावेज पेश करने हेतु अंकित किये गये कथन व कार्यालय टिप्पणी की सूचना व प्रमाणित प्रति	इस प्रकार का कोई अभिलेख इस कार्यालय में संधारित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3	प्रार्थी के पत्रांक (3) 7703/09.09.2020 (4) 7706/31.08.20, (5) 7721/07.09.20 (6) 31.12.2020 (7) 7720/05.09.20 (8) 7722/ 08.09.20 (9) 7291/07.02.20 (10) 7636/13.07.2020 (11) 01.01.2020 (12) 7375/30.05.2020 उपरोक्त 3 से 12 पंत्रांक में अंकित पत्रों को प्रार्थी द्वारा जिस अधिकारी के समक्ष पेश किय गये उसका नाम व पद, दिनांक,पत्र प्राप्ति क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति व प्रार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु मांगे गये समय नकल दिये गये आवेदन की सूचना व प्रमाणित प्रति व उस अधिकारी का नाम जिस द्वारा जिस जगह प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश करने हेतु मांगे गये ....को जहां पर अंकित किया गया, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।	इस प्रकार का कोई अभिलेख इस कार्यालय में संधारित नहीं है।

आप द्वारा चाही गई सूचनाओं का संबंध आपके स्वयं के प्रार्थना पत्रों से है जो मूल ही आपको लौटाये जा चुके है इसलिए इस कार्यालय में आपके उक्त प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है फिर भी आप कार्यालय अभिलेख का अवलोकन कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध सूचनाओं की प्रति प्राप्त कर सकते है।

-sd-
प्रभारी अधिकारी
वाचक शाखा
कलक्टेट श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:51 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि प्रभारी अधिकारी, वाचक शाखा, कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो <u>निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध</u>**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही** है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई [illegible] अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्राव**[illegible] दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.14 15:13:51 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर